२२/३/२०२१

पत्रा० आज पेश हुई - वकील प्रार्थी हाजर -
प्रार्थी वकील की बहस सुनी जाकर - तथा -
अपनी बहस मे कहा गया कि - प्रार्थीगण -
की मौजा ख. 2 व 3. की आराजी वाके ग्राम -
करौलिया - की - विवादित - आराजी पर है -
जो कि खातेदारी - ख. 1403 व गैर खातेदारी -
1406 की - [illegible] की आराजी पर है.
जो कि - 1405 - [illegible] - आराजी है बिल -
पर [illegible] का [illegible] है - जो कि -
गैर [illegible] मे [illegible] का [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय ... | ... हुक्म |
| --- | --- | --- |
| | कारण – अवैध विवादित आराजी – को रहनबय – कुरकनामा – करने पर आमादा है आराजी का कब्जा – तक – काश्त से विधिवत रूप से बटवारा – नहीं हुआ है, तथा – अप्रार्थी / गैरसायलान द्वारा – धमकी दी जा रही की आराजीयात को रहनबयकुरकनामा कर देंगे तथा सायलान को काश्त से महरूम कर देंगे – इसलिए जब तक – कानूनी रूप से बटवारा नहीं हो जाये तब तक – विवादित – आराजीयात की – रिकार्ड व मौके की यथास्थिति – बनाये रखने तथा रहनबयकुरकनामा नहीं किये जाने हेतु स्थगन – आदेश – का तामील मुकदमा – का – कार्य किया जावे।<br><br>जवाब में – अप्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 तक – के वकील द्वारा – स्थाई हेतु स्थगन – आदेश – को कायम किया जाने हेतु अपनी सहमति – दी गई, तथा – कोई आपत्ति – जाहिर नहीं की – गयी।<br><br>हमने विद्वान वकीलों की – बहस प्रार्थनापत्र – पर RTA हेतु गयी बहस पर मनन किया गया – तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन – किया गया तो पाया कि – विवादित – आराजी – खाता सं. 410, 102, 452 . के खसरा नम्बरान – पर – सायल व गैरसायलान की – खातेदारी का – ... ... ... – आराजीयात – का कब्जा – काश्त से ... नहीं हुआ है – तथा मनचाहे अनुसार सायल – व गैरसायलान – अपने हिस्सा अनुसार काबिज – | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2021.10.02 16:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| ज्ञात है - सायल द्वारा - धारा - 53, 188 RTA के तहत विभाजन का पेश किया गया है - इस - सह खातेदारान की आराजीयात - पर प्रत्येक - सहखातेदारान - का प्रत्येक इंच पर प्रत्येक अंश - पर - अपना हित सम्मिलित होता है जब तक कि - उसका - कानूनी रूप से विभाजन - नहीं किया - गया हो - इसलिए विभाजन के बाद में - जब - तक - विधिवत रूप से विभाजन - प्रस्ताव - तैयार - नहीं होवे तब तक विवादित - आराजीयात - की - यथास्थिति - व कोई बुर्द होने व रहन. बेचान होने की - स्थिति - में - आराजीयात - को यथास्थिति - बनाये रखना उचित है - | |
| अतः आदेश है कि - विवादित - आराजी - खाता सं. 410 के ख.न. 1033, 1067, 1074, 1142, 1278, 1279, 1281, 1282, 1331, 1333, 352, 360, 361/1740, 407, 45, 766, 783, 826 किता-18 - रकबा - 6.46 है - व खाता सं. 102 के ख.न. 1856/335, 336 - किता - 2 रकबा - 1.05 व खाता सं. 452 के ख.न. 1862/265 किता - 1 रकबा - 0.64 - वाके ग्राम [illegible] तह. नदबई पर - उपयुक्तकारान (खातेदार [illegible]) आराजीयात की - रिकार्ड व मौके की यथास्थिति - डीव के [illegible] तक - बनाये रखने हेतु पाबन्द - किया जाता है तथा जारी [illegible] की जाती है - निर्णय सुनाया गया | |
| पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] की जाकर दाखिल [illegible] | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Web Copy Not Official